::आदेश::

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 894/USDMA/792(2020) दिनांक 07.01.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा कोविड–19 के New Variant (B.1.1.529) Omicron के नियत्रंण हेतु दिशा–निर्देश प्राप्त हुए है, जो कि जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत भी यथावत लागू एंव प्रभावी होगें।

अतः उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कढ़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ० आर० राजेश कुमार)
जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

पत्रांक 5970/डी0डी0एम0ए0/2022 दिनांक 8 जनवरी, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
5– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
6– अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0)/प्रशासन देहरादून।
7– समस्त उपजिलाधिकारी जनपद देहरादून।
8– मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
9– जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।
10–अन्य सभी सम्बन्धितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून

Scanned with CamScanner

संख्याः 894/USDMA/792(2020)

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए. देहरादून, 07 जनवरी, 2022

विषयः **कोविड–19 के New Variant 'Omicron' के नियत्रंण हेतु दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।**

महोदया/महोदय,

कोविड–19 के New Variant 'Omicron' को World Health Organization (WHO) ने Variant of Concern (VoC) घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 **(संलग्नक–02)** एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या–40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 **(संलग्नक–03)** के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्याः 874/USDMA/792 (2020), दिनांक 05 जनवरी, 2022 को अवक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश पारित किए जाते हैं:–

1. **Night Curfew:** राज्य में Night Curfew रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

   (Curfew अवधि में जिन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट संलग्नक–1 के अनुसार प्रदान की जायेगी)।

2. **Market Opening:** समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुले रहेंगे।

3. राज्य के समस्त **जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम** आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए **50 प्रतिशत** क्षमता के साथ खुलेंगे।

4. राज्य में स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।

Scanned with CamScanner

5. राज्य में स्थित **खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान** खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए **50 प्रतिशत** क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।

6. समस्त सार्वजनिक समारोह (Event) **(मनोरंजन/ शैक्षिक/ सांस्कृतिक आदि)** गतिविधियों की दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।

7. विवाह समारोह एवं शव यात्रा में Venue (बन्द अथवा खुले स्थान) के **50 प्रतिशत** क्षमता के अनुसार, व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

8. राजनैतिक रैली/धरना प्रदर्शन की दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।

9. **होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों** को केवल **50 प्रतिशत** क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

10. **होटलों** में स्थित **Conference Hall, Spa and Gym** का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ **50 प्रतिशत** क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।

11. **School:** राज्य में आगनवाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे, इस दौरान online class के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी।

12. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।

13. **Entry Restriction**: बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination (दोनो डोज) का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

14. **COVID Appropriate Behaviour/Sanitization:** देश भर में 'Omicron' के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी, शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

15. **IEC Activities:** कोविड–19 के New Variant 'Omicron' से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।

Scanned with CamScanner

16. **Vaccination:** राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का Covid Vaccination-Double Dose को शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी।

17. **General Directives for COVID-19 Management :**

राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।

ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।

iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

18. **कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा :**

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जाती है :–

i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।

ii. Persons with co-morbidities.

iii. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।

iv. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

19. **दंड के प्रावधान :**

i. COVID-Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(डॉ0 सुखबीर सिंह सन्धु)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Scanned with CamScanner

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबंधन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,
7/1/2022
(एस0 ए0 मुरुगेशन)
सचिव

Scanned with CamScanner

(संलग्नक–1)

1A. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24X7) रहेगी जैसेः

i. चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें।

ii. डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें।

iii. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers)।

iv. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID-19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान।

v. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति।

vi. COVID-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स, सप्लाई चेन फर्म्स आदि शामिल हैं।

vii. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ।

viii. एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा/स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान।

1B. निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे (24X7):

i. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे–पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।

ii. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण।

iii. डाकघरों सहित डाक सेवाएं।

iv. राज्य में नगरपालिका/स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन।

v. टेलीकॉम टावरों के रख–रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन।

vi. COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन/प्लम्बर को अपने व्ययावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी।

Scanned with CamScanner

1C. निम्नलिखित गतिविधियां दैनिक रूप (24X7) में अनुमन्य है:

i. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर–राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।

ii. ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी/होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।

iii. खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।

iv. प्रिटिंग प्रेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया।

v. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।

vi. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।

vii. बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ।

viii. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।

ix. कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख–रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।

x. ऑटो–मोबाईल मरम्मत की दुकानें।

xi. *क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिन्हित किए गए प्रतिष्ठान।*

उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।

1D. परिवहन :

i. सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से (Intra-state and Inter-state) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अधीन जारी रहेगा।

ii. विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है।

iii. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी Armed Forces (Army and CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT) की आवश्यकता नहीं होगी। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

iv. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/उतारने की (24x7) अनुमति है।

v. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान की लोड करने/उतारने की दैनिक रूप से (24x7) अनुमति है।

vi. अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने संगठनों/संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत (24x7) अनुमति है।

vii. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/टैक्सियों/ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज/टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24x7) दी जाएगी।

viii. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति (24x7) होगी।

ix. आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार/स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी कार्मिकों एवं वर्णित संगठन के वाहनों को चलने की अनुमति (24x7) होगी।

x. सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात–निर्यात आवागमन की अनुमति (24x7) है।

xi. सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24x7) है।

xii. निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति (24x7) है।

1E. समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से निम्नानुसार संचालित रहेगी (24x7) :

i. किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्यः–बुवाई, नर्सरी की तैयारी, भूमि की तैयारी, सिंचाई, रोपण, कटाई, थ्रेशिंग, प्रसंस्करण (Processing) और पैकिंग–आदि।

ii. कृषि/बागवानी/फ्लोरिकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियाँ जैसे–खरीद, वितरण, पैकेजिंग, वेयरहाउस, मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स, उर्वरक, कीटनाशक आदि से सम्बंधित दुकानें।

iii. दुग्ध प्रसंस्करण (Processing) संयंत्रों द्वारा परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री।

iv. पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और हैचरी सहित पशुपालन फार्मों के संचालन संबंधी गतिविधियां।

Scanned with CamScanner

1F. सरकारी और निजी उद्योग/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन (24x7) के संबंध में :

i. All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict adherence to SOPs and Covid-19 safety protocol.

ii. जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई/कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएगें।

1G. सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति (24x7) होगी :

i. सभी निर्माण गतिविधियाँ तथा उनमें कार्यरत वाहन/मजदूरों की आवाजाही को स्थानीय पुलिस/प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा

7/1/2022

(एस0 ए0 मुरूगेशन)
सचिव

Scanned with CamScanner

संलग्नक – 2

राजेश भूषण, आईएएस
सचिव

RAJESH BHUSHAN, IAS
SECRETARY

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
NATIONAL HEALTH MISSION

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Government of India
Department of Health and Family Welfare
Ministry of Health and Family Welfare

D.O.No.Z.28015/318/21-EMR
21 December, 2021

Dear Colleague,

This is regarding the measures that need to be taken in view of initial signs of surge in cases of Covid-19 as well as increased detection of the Variant of Concern (VoC), 'Omicron' in different parts of the country.

2. In this context kindly recall this Ministry's earlier guidance shared with States/UTs on multiple occasions regarding the recommended strategies for containment and restrictions, keeping the District as a unit.

3. At the **district level** there should be constant review of emerging data regarding the population affected by COVID-19, geographical spread, hospital infrastructure and its utilization, manpower, notifying Containment Zones, enforcement of perimeter of containment zones etc. This evidence should be the basis for effective decision making at the district level itself. Such a strategy ensures that infection is contained at the local level itself before it spreads to other parts of the state.

4. The main elements of the framework to be used by States and UTs to facilitate decision making at the District Level are as follows:

i) Test positivity of 10% or more in the last one week
OR
ii) Bed occupancy of 40% or more on oxygen supported or ICU beds

In case any one of these parameters are met in any District, district level containment measures and restrictions may be put in place forthwith. Equally important, the restrictions must be strictly enforced.

5. Based on current scientific evidence, the VOC Omicron is at least 3 times more transmissible than the Delta VOC. Besides, the Delta VOC is still present in different parts of the country. Hence, even greater foresight, data analysis, dynamic decision making and strict & prompt containment action is required at the local and district level. The decision making at the State/UT and district level must be very prompt and focussed.

6. The template above provides a normative framework. However, based on the **local situation** and population characteristics such as density etc., and keeping in mind the higher transmissibility of Omicron, States/UTs can take containment measures and restrictions **even before these thresholds** are reached.

7. Some of the **strategic areas of intervention** focusing on containment, test, track, surveillance, clinical management, vaccination and Covid Appropriate Behaviour to be taken up are as follows:

Scanned with CamScanner

A -**Containment**: imposition of night curfew, strict regulation of large gatherings, curtailing numbers in marriages and funerals, restricting numbers in offices, industries, public transport etc. In case of all new clusters of Covid positive cases, prompt notification of "Containment Zones", "Buffer Zones" should be done, strict perimeter control of Containment Zone as per extant guidelines must be ensured. All cluster samples must be sent to INSACOG Labs for Genome Sequencing without delay.

B- **Testing and surveillance**: testing as per ICMR and MoHFW guidelines, door to door case search, testing of all SARI/ILI and vulnerable/co-morbid people, ensuring right proportion of RT-PCR tests in total tests being conducted daily, contact tracing of all Covid positive persons & their timely testing, utilizing the access to "AIR SUVIDHA" Portal by State Surveillance Officers (SSOs) & District Surveillance Officers (DSOs) to monitor the international passengers who have arrived in their States & Districts etc.

C- **Clinical Management**: increase bed capacity, other logistics like ambulances, mechanism for seamless shifting of patients, availability and operational readiness of oxygen equipments, buffer stock of drugs to be ensured by prompt utilization of Emergency Covid Response Package (ECRP-II) funds released by Central Government & other available resources etc. The existing National Clinical Management Protocol remains unchanged for Omicron.

Ensure stringent enforcement of home isolation as per extant guidelines. This would include among others: customized kit for persons undergoing home isolation, their regular monitoring through call centers as well as home visits etc. This will be a very critical activity in the days to come specially to ensure that persons under home isolation do not spread the virus to others in view of its higher transmissibility.

D- **Vaccination:** ensure 100% coverage of left out first and second dose eligible beneficiaries in an accelerated manner. Special focus to be given to those districts where the first & second dose coverage is less than the national average. The door-to-door vaccination campaign need to be strengthened.

E- **Community engagement and Covid Appropriate Behaviour**: Ensure advance engagement and information so that there is no misinformation or panic, transparent communication on hospital and testing infrastructure availability, regular press briefings etc. Participation of community backed by strict enforcement is necessary for ensuring Covid Appropriate Behaviour.

8. Kindly activate the War rooms/EOCs and keep analyzing all trends and surges, no matter how small and keep taking proactive action at the district/local level.

Regular reviews with field officers and proactive action in this regard will definitely control the spread of infection and flatten the curve.

Warm Regards.

Yours sincerely

(**Rajesh Bhushan**)

Chief Secretary/Administrator of all States / UTs

Scanned with CamScanner

संलग्नक-3

अजय भल्ला, भा.प्र.से.
AJAY BHALLA, IAS

सत्यमेव जयते

गृह सचिव
Home Secretary
भारत सरकार
Government of India
नॉर्थ ब्लॉक/North Block
नई दिल्ली/New Delhi

D.O. No. 40-3/2020-DM-I (A)

27th December, 2021

Dear Chief Secretary,

Kindly refer to the Ministry of Home Affairs (MHA) Order of even number issued today, for ensuring implementation of the measures that need to be taken, in view of initial signs of surge in cases of COVID-19, as well as increased detection of the Variant of Concern (VoC), 'Omicron', in different parts of the country, as conveyed vide Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) D.O. letter dated 21st December, 2021.

2. The country has witnessed an overall decline in active cases. However, the new variant, Omicron (designated as a VoC by the WHO on 26th November 2021), is reported to be at least 3 times more transmissible than the Delta VoC, and is posing a new challenge for the COVID containment measures. In the countries with Omicron-driven surge, the growth trajectory of cases has been very steep. In our country, 578 Omicron cases have already been reported in 19 States/UTs.

3. Globally, Omicron cases have already been reported in 116 countries. Further, surge in cases is also being reported across various countries, especially in the USA, the UK, Europe (France, Italy, Spain), Russia, South Africa, Vietnam, Australia, etc.

4. In this background, in the MoHFW advisory dated 21.12.2021, a normative framework has been provided. With distinct presence of the Delta variant and detection of Omicron cases in many States, there is need for greater foresight, data analysis, dynamic decision making, and strict and prompt containment actions at the local and district levels, based on the assessment of the situation.

5. On 23rd December, 2021, the Hon'ble Prime Minister has reviewed the status of COVID-19, Omicron VoC and preparedness of health systems across the country. After review, he has directed that we should be 'Satark' and 'Saavdhan'. As per his directions, it is important to maintain a high level of vigil and alertness at all levels. State Governments should ensure that the health systems in the States are strengthened to meet any challenge posed by the new variant. Further, the State Governments/UT Administrations should ensure that oxygen supply equipment are installed and are fully functional and the buffer stock of essential drugs should also be maintained.

..contd.p/2..

Scanned with CamScanner

6. I would like to reiterate that all the States/UTs must observe all precautions, and not let the guard down. Local/District Administration, based on the normative framework and assessment of the situation, should promptly take appropriate containment measures. States may consider imposing need based, local curbs/restrictions, to control the crowd during the festive season.

7. I would also like to emphasise that there should be continued focus on the five-fold strategy, i.e., Test-Track-Treat-Vaccination and adherence to COVID Appropriate Behaviour, to avoid the possibility of surge in COVID-19 cases, especially keeping in view the new VoC. The State enforcement machinery should strictly enforce the norms of COVID Appropriate Behaviour, i.e., wearing of face masks and maintaining safe social distancing in all public areas/gatherings.

8. As mentioned in my earlier DO letter, dated 30th November, 2021, with a view to discourage any misinformation in respect of the new VoC, which creates anxiety among the public, all States and UTs should proactively and regularly hold media briefings at the highest level to disseminate the right information to them. States/UTs should also educate them about various preventive measures undertaken by them and also advise them to strictly follow COVID Appropriate Behaviour.

9. I would, therefore, urge you to issue necessary directions to the districts and all other local authorities concerned, to take necessary measures for prompt and effective management of COVID-19, strict compliance with various advisories issued by the MoHFW on the new VoC and strict enforcement of COVID Appropriate Behaviour.

With regards,

Yours sincerely,

27/12/2021

(Ajay Bhalla)

Chief Secretaries of all States

Scanned with CamScanner